न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीया	ब नाम	अप्रार्थीगण
वसुन्धरा पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी कमल किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी खजुर वाली कोठी, श्रवणपुरा हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी, रामपुरा रोड़ सीकर		गीतादेवी पत्नी स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण निवासी खजुर वाली कोठी श्रवणपुरा वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत रिसीवर नियुक्त करने अन्तर्गत धारा 212(2) R.T.Act 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रार्थना–पत्र नम्बर 868/2021 **GCMS No.** 2021/1170

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.12.2021	वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत बाबत रिसीवर नियुक्त करने अन्तर्गत धारा 212(2) R.T.Act 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण विरूद्व प्रस्तुत किये। प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं. 791/2021 वसुन्धरा बनाम गीतादेवी में ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 345, 346, 347 के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिनॉक 29.11.2021 को प्रदान किये गये। स्थगन जारी होने के उपरान्त दिनॉक 29.11.2021 को नामान्तकरण संख्या 292 अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के पक्ष में विक्रय पत्र जो कि बक्शीशनामा के आधार पर किया गया था के आधार पर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। स्थगन आदेश जारी होने के उपरान्त भी अवैध हस्तान्तरणों की आड़ में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्तियो को हस्तानान्तरण करने पर उतारू है, वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अवैध हस्तानान्तरणों की आड़ में बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा। जटिलता[illegible] हो जायेगी, न्यायालय व पक्षकारों का समय [illegible] आराजीयात हिन्दू संयुक्त परिवार की [illegible] आराजीयात में प्रार्थी का हक हिस्सा बाई बर्थ है, इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया [illegible]ला प्रमाणित है, प्रार्थीया अपने पैतृक भू[illegible] की रक्षा करने के [illegible] यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश करना लाजमी हो गया है। अतः विवादित आराजी पर रिसिवर नियुक्त कर भूमि रिसिवर के कब्जे में दिये जाने के आदेश फरमावें। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रापक (रिविसर) की नियुक्ति के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय जुगल किशोर बनाम मांगीलाल 1976	

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested

मु.नं. 86/2021 ... जीतादेवी वगैरह

वी.ला.नो.64 माधोपुरी बनाम बंशीधर 1985 वी.ला.नो. 189, जीतासिंह बनाम राज. राज्य आर.आर.डी. 214 फकीर शाह बनाम राज. राज्य 1994 आर.आर.डी. 40 के अनुसार पांच सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है :–

1– एक वाद के लम्बित रहते प्रापक की नियुक्ति न्यायालय के विवेकाधिकार पर आश्रित है।

2– न्यायायलय को वादी द्वारा यह सबूत देने पर कि वाद में उसके सफल होने का प्रथम दृष्टया अति उत्तम अवसर है इसके लिए सिवाय प्रापक नियुक्त नही करना चाहिये।

3– वादी केवल यही दर्शित नही करे कि सम्पति के लिये प्रतिकूल और विवादास्पद दावे है, परन्तु वह कोई आपत्ति या खतरा या हानि भी दर्शित करे जो तुरन्त कार्यवाही की मांग करती हो, और उसको अपने अधिकार के बारे में वह युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट और संदेह से परे हो। खतरे (भय) का तत्व विचार करने के लिये महत्वपूर्ण है।

4– प्रापक वहॉ नियुक्त नही किया जावेगा, जब उसका प्रभाव "वास्तविक" (de-facto) कब्जे से प्रतिवादी को वंचित करना (हटाना) होता हो। क्यों ि कवह अपूर्णीय दोष कारित कर सकता है। यह भिन्न होगा जहॉ संपति अधर झूल (in medio) दर्शित हो। अर्थात किसी के उपभोग में नही हो।

5– न्यायालय प्रापक नियुक्त करने के आवेदन पर आवेदन करने वाले पक्षकार के आचरण को देखता है और साधारणतया हस्तक्षेप करने से मना कर देगा। जब तक कि उसका आचरण कलंक से मुक्त न हो जाये।

आलोच्च प्रकरण के मूल वाद की विषय वस्तु खसरा नम्बर 345, 346, 347 किस्म क्रमशः गै.मु.कुआ, गै.मु.आबादी व चाही है मूल विवाद पैतृक कृषि भूमि के सम्बन्ध में है राजस्व अभिलेख से स्पष्ट परिलक्षित है कि दर्ज खातेदार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अजनबी भिन्न व्यक्ति प्रतिवादी सं. 11 ता 15 को वाद में विचाराधीन भूमि का विक्रय कर दिया एवं उसका नामान्तरकरण सं. 292 दिनॉक 29.11.2021 को क्रेतागण अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के पक्ष में कर दिया जबकि दिनॉक 29.11.2021 को इस न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावशील था।

आलोच्च प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य तो पूर्ण रूप से परिलक्षित हो रहा है कि मूल वाद की विषय वस्तु खतरे या हानि में हो रही है, वाद में उल्लेखित ... खातेदार के उत्तराधिकारीगण के अन्य भिन्न अजनबी व्यक्ति को हस्... किये जाने पर मूल वाद की विषय वस्तु को ... प्रबल संभावता है, यदि मूल वाद की विषय वस्तु ... हो गई तो वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष का उद्देश्य समाप्त प्रायः हो जा... एवं वाद बहुलता बढ़ेगी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण के सभी तथ्यों पर मनन करने पर विधि द्वारा न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग करते हुये आदेश दिया जाता है कि मूल वाद में विचाराधीन ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 345, 346, 347 में से गै.मु.कुआ व गै.मु.आबादी जो क्रमशः पेयजल सुवधि एवं रहवासीय

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मु.नं. 48/2021 — 9 जुलाई 4, ...

	उपयोग में आ रहा हो को छोड़ने हुये शेष भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 3.98 को कुर्क कर तहसीलदार कुचामनसिटी को रिसिवर (प्रापक) नियुक्त किया जाता है। आदेश की पालना में रिसिवर तहसीलदार कुचामनसिटी उक्त विवादित आराजी को अपने कब्जे में लेकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनॉक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/12/21 (बाबुलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2022.02.01 12:53:03 IST Reason: SelfAttested		